अध्याय-I
मुख्य क्रियाकलाप

प्रस्तावना

1.1 श्रम और रोजगार मंत्रालय भारत सरकार के पुराने और महत्वपूर्ण मंत्रालयों में से एक है। इस मंत्रालय का मुख्य उत्तरदायित्व सामान्य तौर पर, उच्च उत्पादन एवं उत्पादकता के लिए एक स्वस्थ कार्य-वातावरण को ध्यान में रखते हुए उन कर्मकारों के हितों की रक्षा करना है जो समाज के वंचित, उपेक्षित एवं निर्धन वर्गों के हैं, ऐसा करते समय उच्च उत्पादन एवं उत्पादकता के लिए स्वस्थ कार्य माहौल सृजित करने तथा व्यावसायिक कौशल प्रशिक्षण और रोजगार सेवाओं को विकसित करने और समन्वित करने पर विशेष ध्यान दिया जाता है। उदारीकरण प्रक्रिया के दृष्टिगत सरकार का ध्यान संगठित तथा असंगठित क्षेत्र दोनों में श्रम बल का कल्याण संवर्धन करने और सामाजिक सुरक्षा मुहैया कराने पर भी केन्द्रित है । इन उद्देश्यों को विभिन्न श्रम कानूनों के अधिनियमन एवं क्रियान्वयन से प्राप्त किया जाता है जो कर्मकारों की सेवा एवं नियोजन की शर्तों को विनियमित करता है। राज्य सरकारें भी विधानों को अधिनियमित करने के लिए सक्षम हैं क्योंकि भारतीय संविधान के अंतर्गत श्रम समवर्ती सूची का विषय है ।

राष्ट्रीय न्यूनतम साझा कार्यक्रम

1.2 जून, 2004 में सत्ता संभालने के पश्चात्, यू पी ए सरकार ने एक राष्ट्रीय न्यूनतम साझा कार्यक्रम (एन सी एम पी) अंगीकार किया है । राष्ट्रीय न्यूनतम साझा कार्यक्रम में श्रम और रोजगार मंत्रालय से संबंधित मुख्य बिंदु नीचे दिए गए हैं ः-

(क) किसानों, खेतिहर मजदूरों और श्रमिकों, विशेषकर जो असंगठित क्षेत्र में है, के कल्याण और खुशहाली को बढ़ाना और इनके परिवार के

भविष्य को हर तरह से सुरक्षा का आश्वासन देना ।

(ख) यू पी ए सरकार खेतिहर मजदूरों के लिए न्यूनतम मजदूरी कानूनों का पूरी तरह से क्रियान्वयन सुनिश्चित करेगी। सभी खेतिहर मजदूरों के लिए व्यापक संरक्षी विधान अधिनियमित किए जाएंगे।

(ग) बाल श्रम उन्मूलन के लिए प्रयास करना।

(घ) इंस्पेक्टर राज को कम करने के लिए श्रम कानूनों की पुर्नजाँच करना।

(ङ) श्रम प्रबंधन संबंधों को सुदृढ़ करने के लिए परामर्श, आमराय और सहयोग।

1.3 श्रम और रोजगार मंत्रालय ने राष्ट्रीय न्यूनतम साझा कार्यक्रम में निहित बिंदुओं के क्रियान्वयन को सुनिश्चित करने के लिए निम्नलिखित कदम उठाए हैं-

असंगठित क्षेत्र में कामगारों के हितों की सुरक्षा को सुनिश्चित करने के उद्देश्य से , जिसमें बुनकार, हथकरघा कामगार, मछुआरे और मछुआरिने, ताड़ी उतारने वाले, चर्मकार, बगान श्रमिक, बीड़ी कामगार और कृषि कामगार भी शामिल हैं, सरकार का इन कामगारों के लिए एक व्यापक विधान बनाने हेतु प्रस्ताव है । श्रम और रोजगार मंत्रालय ने असंगठित क्षेत्र कामगार विधेयक 2004 प्रस्तावित किया था जिसमें अन्य बातों के साथ-साथ सुरक्षा, स्वास्थ्य और कल्याण मामले के प्रावधान की भी संकल्पना है । इस विधेयक के प्रारूप को राष्ट्रीय सलाहकार परिषद (एन.ए.सी) और राष्ट्रीय असंगठित क्षेत्र उद्यम आयोग (एन.सी.ई.यू.एस) सहित सभी पणधारियों को भेजा गया है। राष्ट्रीय सलाहकार परिषद ने असंगठित क्षेत्र कामगार सामाजिक सुरक्षा विधेयक, 2005 नामक एक मसौदा विधेयक प्रस्तुत कर दिया है । इस मसौदा विधेयक की राज्य सरकारों, केन्द्रीय श्रमिक संघों, नियोजक संगठनों और गैर-सरकारी संगठनों के परामर्श से मंत्रालय में जांच की गई । राष्ट्रीय

असंगठित क्षेत्र उद्यम आयोग ने भी दो विधेयक अर्थात (i) असंगठित क्षेत्र कामगार (कार्य और जीविका संवर्धन की शर्तें) विधेयक, 2005 तथा (ii) असंगठित क्षेत्र कामगार सामाजिक सुरक्षा विधेयक, 2005 प्रस्तुत किए हैं।

श्रम और रोजगार मंत्रालय, एन ए सी और एन सी ई यू एस द्वारा तैयार किए गए मसौदा विधेयकों की जांच की गई और 18 नवम्बर, 2005 को माननीय प्रधान मंत्री की अध्यक्षता में हुई बैठक में तथा 22 नवम्बर, 2005 को एन ए सी/एन सी ई यू एस के सदस्यों/विशेषज्ञों द्वारा विचार-विमर्श किया गया। बाद में एन सी ई यू एस ने इस संबंध में एक रिपोर्ट प्रस्तुत की।

एक विधान बनाने तथा स्कीम तैयार करने और असंगठित क्षेत्र के कामगारों के लिए सामाजिक सुरक्षा के बारे में राष्ट्रीय असंगठित क्षेत्र उद्यम आयोग की रिपोर्ट तैयार करने के प्रस्ताव पर 25 जुलाई, 2006 को मंत्रिमंडल सचिव की अध्यक्षता में आयोजित सचिवों की समिति द्वारा विचार किया गया था । विस्तृत विचार-विमर्श के बाद यह निर्णय लिया गया था कि मंत्रिमंडल सचिवालय द्वारा एक छोटे ग्रुप का गठन किया जाएगा जो विभिन्न मसौदा विधेयकों और प्रस्तावों की जांच करेगा तथा मंत्रिमंडल सचिव को अपनी सिफारिशें देगा।

मंत्रिमंडल सचिवालय द्वारा गठित ग्रुप की पहली बैठक 24.8.2006 को सचिव (श्रम और रोजगार) की अध्यक्षता में हुई जिसमें ग्रुप के सदस्यों और कामगारों से संबंधित सामाजिक सुरक्षा क्षेत्र में विशेषज्ञों/व्यवसायिकों ने भाग लिया । इसमें कामगारों को चरणबद्ध रूप में सामाजिक सुरक्षा मुहैय्या कराने के लिए जनश्री बीमा योजना के विस्तार और पुनः तैयार की गई कृषि श्रमिक सामाजिक सुरक्षा योजना सहित सभी मसौदा विधेयकों और विभिन्न विकल्पों से संबंधित महत्वपूर्ण मुद्दों पर गहन और व्यापक विचार-विमर्श किया गया । तथापि, कोई आम राय नह बन सकी । इस ग्रुप ने मंत्रिमंडल

सचिव को 14.9.2006 को अपनी सिफारिशें प्रस्तुत कर दी थी।

मंत्रिमंडल सचिव की अध्यक्षता में सचिवों की समिति (सी ओ एस) की एक अन्य बैठक 25.10.2006 को आयोजित की गई जिसमें छोटे ग्रुप और एन सी ई यू एस द्वारा प्रस्तावित सिफारिशों पर विस्तृत विचार-विमर्श किया गया। विस्तृत विचार-विमर्श के पश्चात्, प्रशासनिक व्ययों सहित क्रियान्वयन और वित्तीय निहितार्थों को तैयार करने के साथ असंगठित क्षेत्र के कर्मकारों के लिए सामाजिक सुरक्षा योजना के विभिन्न संभावित विकल्पों और संघटकों की जांच करने हेतु वित्त सचिव की अध्यक्षता में एक छोटा ग्रुप गठित करने का निर्णय लिया गया था। इस ग्रुप की बैठक 27.10.2006 को हुई और असंगठित क्षेत्र के कर्मकारों के लिए छोटे ग्रुप तथा एन सी ई यू एस द्वारा प्रस्तावित विभिन्न योजनाओं के विभिन्न विकल्पों और वित्तीय निहितार्थों पर विचार-विमर्श किया गया । इस ग्रुप ने निम्नलिखित सिफारिशें कीं -

(क) कल्याण योजनाएं चरणबद्ध रूप में क्रम-वार चलाई जानी चाहिए ।

(ख) (i) 30,000/- रुपये का स्वाभाविक मृत्यु कवर (ii) दुर्घटनावश मृत्यु/दुर्घटना की वजह से पूर्ण विकलांगता हेतु 75,000/-रुपये और (iii) आंशिक अस्थाई विकलांगता हेतु 37,500/-रुपये हेतु शुरूआती चरण के कवर में जीवन बीमा पैकेज शुरू किया जाना ।

(ग) इस ग्रुप ने स्वास्थ्य बीमा की जरूरत को समझा। तथापि, सार्वजनिक और निजी दोनो क्षेत्रों में समुचित स्वास्थ्य संबंधी बुनियादी सुविधा के अभाव में, स्वास्थ्य मंत्रालय स्वास्थ्य मिशन के एक भाग के रूप में सार्वभौमिक स्वास्थ्य बीमा मुहैय्या कराने की संभाव्यता की अलग से जांच कराये ।

(घ) श्रम और रोजगार मंत्रालय बुनकरों, हथकरघा कामगारों,

मछुआरों, ताड़ी उतारने वालों, चर्मकारों, बागान श्रमिकों आदि जैसे सैक्टर के कर्मकारों के लिए योजनाएं बनाये ।

(ङ) कृषि मंत्रालय राष्ट्रीय न्यूनतम साझा कार्यक्रम (एन सी एम पी) के अनुरूप सभी खेतीहर मजदूरों के लिए संरक्षी विधान पर कार्य करे ।

(च) प्रस्तावित बीमा स्कीम और ऐसी अन्य स्कीमों के क्रियान्वयन की निगरानी करना जिन्हें समय-समय पर जोड़ा जाये, श्रम और रोजगार मंत्रालय द्वारा एक संस्था की स्थापना की जाये ।

इस ग्रुप के अध्यक्ष, तत्कालीन सचिव, वित्त ने संकेत दिया कि वर्ष 2007-08 में 1000/-करोड़ रुपये के आबंटन से शुरूआत की जाएगी और यह वर्ष 2011-2012 में 5000/-करोड़ रूपये हो जाऐगा, इस प्रकार 11वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान कुल आबंटन राशि 15,000/-करोड़ रुपये होो जायेगी।

इस मंत्रालय ने समुचित स्तर पर निर्णय हेतु राष्टीय असंगठित क्षेत्र उद्यम आयोग के परामर्श से असंगठित क्षेत्र विधेयक संबंधी एक नोट का मसौदा बनाया है ।

अधिकांश मामलों में, खेतीहर मजदूरों के लिए “समुचित सरकारें” राज्य सरकारें हैं और उनके द्वारा हाळ न्यूनतम मजदूरी का निर्धारण तथा क्रियान्वयन किया जाता है । तथापि, केन्द्र सरकार भी केन्द्र जैसे मिलिट्री डेरीफार्मो, केन्द्रीय कृषि अनुसंधान संस्थानों आदि जैसे केन्द्रीय क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले कृषि कामगारों की न्यूनतम मजदूरी निर्धारित करती है । तदनुसार, सभी राज्यों/संघ शासित क्षेत्रों से न्यूनतम मजदूरी के क्रियान्वयन के संबंध में मासिक रिपोर्ट प्रस्तुत करने का अनुरोध किया गया है। उनसे न्यूनतम मजदूरी के क्रियान्वयन के अनुवीक्षण में सिविल सोसायटी को शामिल करने के लिए भी कहा गया है । इसके अलावा, पत्र लिखकर, व्यक्तिगत विचार-विमर्श के द्वारा राज्य सरकारों के साथ लगातार

विचारों के आदान-प्रदान और केन्द्रीय श्रम और रोजगार सचिव की अध्यक्षता में न्यूनतम मजदूरी अधिनियम, 1948 के कारगर क्रियान्वयन हेतु क्षेत्रीय समिति की बैठकें आयोजित करने हेतु बैठकों आयोजन किया जाता है। ऐसी बैठकों का आयोजन उत्तरी क्षेत्र के लिए चंडीगढ़ में 19.4.2006 और अमृतसर में 28.9.2006, दक्षिणी क्षेत्र के लिए तिरुपति में 28.6.2006 को, पूवोत्तर क्षेत्र के लिए गुवाहाटी में 6.7.2006 को, पूर्वी क्षेत्र के लिए रांची में 23.9.2006 को और पश्चिमी क्षेत्र के लिए गोवा में 5.10.2006 को किया गया था।

राष्ट्रीय बाल श्रम नीति, 1987 के घटकों में एक बाल श्रम की उच्च बहुलता वाले क्षेत्रों में उनकी पहचान करने, कार्य से हटाने और पुनर्वास के लिए राष्ट्रीय बाल श्रम परियोजना (एन सी एल पी) की स्थापना करना हे। जोखिमकारी क्षेत्रों में बाल श्रम के उन्मलन के लिए सरकार की प्रतिबद्धता के अनुसरण में, राष्ट्रीय बाल श्रम परियोजना स्कीम को 150 जिलों जहां यह स्कीम पहले से ही प्रचालन में है, के अलावा 100 और जिलों को कवर करने हेतु विस्तारित की गई है । इसके अलावा बाल श्रम के बारे में 40 मिलियन अमरीकी डालर की इन्डस परियोजना (इन्डो यू एस संयुक्त परियोजना) शुरू की गई है ।

घरेलू कामगारों अथवा सेवकों अथवा ढाबों, रेस्तराओं, होटलों, मोटलों, चाय की दुकानों, रिजार्टों, स्पास अथवा अन्य मनोरंजन संबंधी केन्द्रों में बच्चों के नियोजन को बाल श्रम (प्रतिषेध और विनियम) अधिनियम, 1986 के अंतर्गत 10 अक्तूबर, 2006 से एक अधिसूचना द्वारा प्रतिषिद्ध कर दिया गया है । अतः इन दोनों श्रेणियों के व्यवसायों में बच्चों को नियोजित करने वाले किसी भी व्यक्ति पर इस अधिनियम के अंतर्गत अभियोजन चलाया जायेगा और अन्य दंडात्मक कार्रवाई की जाएगी । जबकि सरकारी सेवकों पर पहले ही बच्चों को घरेलू सेवकों के रूप में रखने पर प्रतिषेध था, अब इस अधिसूचना के जारी होने से सरकारी

ने प्रत्येक व्यक्ति पर इन प्रतिबंधों को लगा दिया है।

यह निर्णय बाल श्रम संबंधी तकनीकी सलाहकार समिति की सिफारिश पर लिया गया है, जिसने इन दोनों व्यवसायों को बच्चों के लिए जोखिमकारी समझा और उन्हें उन व्यवसायों की सूची में शामिल करने की सिफारिश की जो बाल श्रम (प्रतिषेध और विनियमन) अधिनियमफ् 1986 के अंतर्गत 14 वर्ष से कम आयु के व्यक्तियों के लिए प्रतिषिद्ध हैं । मह ानिदेशक भारतीय औषधि अनुसंधान परिषद (आई सी एम आर) तकनीकी सलाहकार समिति के प्रमुख हैं।

श्रम और रोजगार मंत्रालय केन्द्रीय औद्योगिक संबंध तंत्र तथा राज्य सरकारों पर निरीक्षकों के अवांछनीय दौरों से संबंधित मौजूदा प्रक्रियाओं को सुगम बनाने के लिए जोर देता रहा है। स्व-प्रमाणन जैसे वैकल्पिक तरीकों के उपयोग का पता लगाया जा रहा है।

ऐसी आवश्यकता महसूस की जाती है कि रजिस्टरों और विवरणियों की संख्या कम की जानी चाहिए ताकि इनका न्यूनतम श्रम बल का उपयोग करते हुए और लागत को कम करते हुए प्रबंधन किया जा सके और तेजी से बदल रहे बाजार में उत्पादन और उत्पादकता को बढ़ाने के लिए उनकी ऊर्जा का उपयोग किया जा सके । इस मुद्दे को हल करने के लिए श्रम कानून (कतिपय प्रतिष्ठानों द्वारा विवरणियां प्रस्तुत करने और रजिस्टरों के रख रखाव से छूट) अधिनियम, 1988 राज्य सभा में 22.08.2005 को प्रस्तुत किया गया है । इस प्रस्ताव में कतिपय श्रम कानूनों के अन्तर्गत रख-रखाव किए जाने के लिए अपेक्षित विवरणियों के फार्मों और रजिस्टरों के सरलीकरण की संकल्पना है। संशोधित फार्मों का रख-रखाव कंप्यूटर में किया जा सकता है और प्रोफार्मा को ई-मेल द्वारा प्रेषित किया जा सकता है।

स्वस्थ औद्योगिक माहौल बनाने और निरीक्षक स्टाफ के अनावश्यक हस्तक्षेप को कम करने के उद्देश्य से निम्नलिखित कदम भी उठाए गए हैं ः-

(i) कर्मचारी राज्य बीमा निगम (ई.एस.आई.सी.)

इस समय केवल उन्हीं प्रतिष्ठानों का निरीक्षण किया जाता है जिनके खिलाफ अपवंचन अथवा अनुपालन न किए जाने की खास शिकायते हैं। ऐसे निरीक्षणों का वरिष्ठ स्तर के अधिकारियों द्वारा आदेश दिया जाता है जो निरीक्षको को कार्य सौंपते हैं ताकि किसी विशेष प्रतिष्ठान का दौरा करने के लिए निरीक्षकों की ओर से पूर्व-निर्णीत कार्रवाई योजना का मौका न रहे। निरीक्षकों के स्थानिक क्षेत्राधिकार को अब समाप्त कर दिया गया है और अब उन्हें मूल्यांकक सर्किल अधिकारियों द्वारा जिनके साथ निरीक्षकों को संबद्ध किया गया है, यथानिर्णीत विशेष रूप से सौंपे गए मामलों के निरीक्षण के लिए ही लगाया जाता है।

(ii) कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (ई.पी.एफ.ओ.)

इस समय केवल उन्हीं प्रतिष्ठानों का निरीक्षण किया जाता है जिनके खिलाफ अपवंचन अथवा अनुपालन न किए जाने की खास शिकायते हैं। ऐसे निरीक्षणों का वरिष्ठ स्तर के अधिकारियों द्वारा आदेश दिया जाता है जो निरीक्षको को कार्य सौंपते हैं ताकि किसी विशेष प्रतिष्ठान का दौरा करने के लिए निरीक्षकों की ओर से पूर्व-निर्णीत कार्रवाई योजना का मौका न रहे। निरीक्षकों के स्थानिक क्षेत्राधिकार को अब समाप्त कर दिया गया है और अब उन्हें मूल्यांकक सर्किल अधिकारियों द्वारा जिनके साथ निरीक्षकों को संबद्ध किया गया है, यथानिर्णीत विशेष रूप से सौंपे गए मामलों के निरीक्षण के लिए ही लगाया जाता है।

(iii) मुख्य श्रमायुक्त (केन्द्रीय) (सी.एल.सी.(सी)

आई टी सॉफ्ट्वेयर और आई टी सेवा उद्योगों के संबंध में, मुख्य श्रमायुक्त (केन्द्रीय) ने अपने अधीनस्थ कार्यालयों को सलाह दी है कि आई टी सॉफ्टवेयर और आई टी सेवा उद्योगों के नियमित और आवधिक निरीक्षण जरूरी नहीं है क्योंकि इन आई टी उद्योगों द्वारा

लगाए गए कर्मचारी सामान्य तौर पर योग्य होते हैं और इसलिए उनके हितों का संरक्षण करने और संवर्धन करने की बेहतर स्थिति में होते हैं। तथापि, विभिन्न श्रम कानूनों के अन्तर्गत नियोजक द्वारा प्रस्तुत विवरणियों के माध्यम से इन प्रतिष्ठानों में श्रम कानूनों का प्रवर्तन किया जा रहा है।

त्रिपक्षीयता को सुदृढ़ बनाना

1.4 श्रम और रोजगार मंत्रालय सदैव देश में सौहार्दपूर्ण औद्योगिक संबंध संवर्धित करने का प्रयास करता रहा है । सरकार त्रिपक्षीयता के लोकाचार और संस्कृति के प्रति प्रतिबद्ध होने की वजह से इसको पुनर्जीवित करने के लिए सदैव प्रयास करती रही है ।

1.5 मंत्रालय नए कानून बनाने अथवा मौजूदा कानूनों में परिवर्तन करने के लिए आमराय हासिल करने हेतु सामाजिक भागीदारों के साथ परामर्श करती रही है। मंत्रालय का उद्देश्य श्रमजीवी वर्ग के लिए नीतियां बनाने में सभी सामाजिक भागीदारों के विचारों में तारतम्य बिठाना है। तदनुसार, श्रम और रोजगार मंत्रालय ने वर्ष के दौरान विभिन्न समितियों/बोर्डों की कई त्रिपक्षीय बैठकों का आयोजन किया जिनमें अन्यों के साथ-साथ शामिल हैं ः-

(i) केन्द्रीय न्यासी बोर्ड (ई पी एफ) की बैठकें 28.3.2006, 7.11.2006 और 7.12.2006 को आयोजित की गई।

(ii) केन्द्रीय श्रमिक शिक्षा बोर्ड के शासी नि□ाय □ी बैठक 27.11.2006 □ो आयोजित की गई ।

(iii) श्रम कानून (कतिपय प्रतिष्ठानों द्वारा विवरणियां प्रस्तुत करने और रखरखाव से छूट) संशोधन तथा प्रकीर्ण विधेयक, 2005 के प्रावधानों के बारे में नियोजकों और कामगारों का विचार जानने हेतु 22.06.2006 को एक बैठक आयोजित की गई।

(iv) भवन और अन्य निर्माण कामगार (रोजगार और सेवा शर्तों का विनियमन) अधिनियम, 1996 के अन्तर्गत केन्द्रीय सलाहकार समिति □ी बैठक का 10.11.2006 को आयोजित की गई ।

(v) स्थाई श्रम समिति का 41वां सत्र 20 दिसम्बर, 2006 को आयोजित किया गया ।

(vi) राज्यों के श्रम मंत्रियों का सम्मेलन 21.12.2006 को आयोजित किया गया।

(vii) नियोजकों और कामगारों के प्रतिनिधियों के साथ रोजगार शर्तें निर्धारित करने से संबंधित मुद्दों पर विचार-विमर्श करने के लिए 22.12.2006 को बैठक आयोजित की गई ।

1.6 इस प्रकार, मंत्रालय सही मायनों में श्रम-प्रबंधन संबंधों को सुदृढ़ करने के लिए त्रिपक्षीय परामर्श प्रक्रिया का अनुसरण कर रहे हैं। इस संदर्भ में श्रम सुधार और न्यूनतम मजदूरी की 2005 में आयोजित बैठकें महत्वपूर्ण थीं।

1.7 त्रिपक्षीयता के लोकाचार और संस्कृति के अनुपालन के माध्यम से कामगारों के लिए स्वास्थ्य, सुरक्षा और सामाजिक सुरक्षा के संवर्धन, संरक्षण और परीक्षण के लिए कई अन्य विधायी और कार्यकारी पहल भी किए गए हैं। इस संबंध में वर्ष के दौरान की गई कुछ महत्वपूर्ण पहलें सारांश रूप में नीचे प्रस्तुत हैं ः-

औद्योगिक संबंध

1.8 सौहार्दपूर्ण औद्योगिक संबंध की स्थिति बनाए रखना श्रम और रोजगार मंत्रालय का एक महत्वपूर्ण उद्देश्य रहा है । केन्द्रीय एवं राज्य दोनों औद्योगिक संबंध तंत्रों के लगातार प्रयासों से समग्र औद्योगिक संबंध माहौल शान्तिपूर्ण एवं समरस बना रहा । हड़तालें और तालाबंदियों की घटना की संख्या 1997 में 1305 से घटकर 2005 में 458 रह गई और इस अवधि के दौरान गिरावट का रुख रहा। तथापि, इन व्यवधानों की वजह से नुकसान हुए श्रम दिवस की संख्या 1997 में 16.97 मिलियन से बढ़कर 2005 में 23.27 मिलियन हो गई और इस अवधि के दौरान इसमें अन्तर दिखे ।

1.9 इसी प्रकार, जहाँ तक हड़तालों एवं तालाबंदियों और इसके परिणामस्वरूप अन्तर्ग्रस्त/प्रभावित कामगारों की संख्या, स्थान-वार/उद्योग-वार विवरण ा संबंध है, पश्चिम बंगाल, तमिलनाडु, गुजरात और केरल सर्वाधिक प्रभावित राज्य थे जबकि उद्योग समूहों में वस्त्र, इंजीनियरिंग और रसायन में हड़तालों एवं तालाबंदियों की अधिक संख्या दर्ज की गई ।

मौजूदा न्यायनिर्णयन प्रणाली को सुदृढ़ बनाने के उद्देश्य से, बाईस केन्द्रीय सरकार औद्योगिक -यायाधिर-सह-श्रम--यायालय ध-नबाद (झारखण्ड), मुम्बई, नई दिल्ली और चण्डीगढ़ (प्रत्येक में दो

न्यायालय) तथा कोलकाता, जबलपुर, कानपुर,नागपुर, लखनऊ, बंगलोर, जयपुर, चेन्नै, हैदराबाद, भुवनेश्वर, अहमदाबाद, एर्णाकुलम, आसनसोल तथा गुवाहाटी में एक-एक न्यायालय कार्यरत है । इस मंत्रालय ने भी औद्योगिक विवादों के लम्बित रहने की स्थिति को कम करने के लिए केन्द्रीय सरकार औद्योगिक न्यायाधिकरण-सह-श्रम -यायालयों □ी -याय नि□िय-न प्र□ाली में लो□ अदालतों की प्रथा भी शुरू की है । अब तक इस मानक तन्त्र के माध्यम से 937 मामले निपटाए गए हैं ।

स्थायी श्रम समिति

1.11 20 दिसम्बर, 2006 को स्थायी श्रम समिति का 41वां सत्र आयोजित किया गया। कार्यसूची में निम्नलिखित शामिल थे

- वैश्विक अर्थव्यवस्था के संदर्भ में श्रम बाजार शासन ।
- युवाओं की नियोजकता में वृद्धि करने के लिये उपाय।
- सामाजिक सुरक्षा प्रणाली में सुधार ।
- मत्स्य उद्योग क्षेत्र में कार्य।

कमजोर वर्ग

बाल श्रमिक

1.12 बाल श्रम का उन्मूलन भारत सरकार के लिये गंभीर चिंता और प्रतिबद्धता का क्षेत्र है। बाल श्रम की समस्या एक सामाजिक-आर्थिक बुराई है जो गरीबी और निरक्षरता का प्रत्यक्ष परिणाम है। अतः, सरकार ने इस समस्या की व्यापकता और प्रकृति को ध्यान में रखते हुए, जोखिमकारी व्यवसायों/प्रक्रियाओं में कार्यरत बच्चों से शुरूआत करके कामकाजी बच्चों को कार्य से हटाने तथा पुनर्वासित करने के लिए एक क्रमिक एवं अनुक्रमिक दृष्टिकोण अपनाया है।

1.13 सरकार ने अगस्त, 1987 में एक व्यापक राष्ट्रीय बाल श्रम नीति की घोषणा की जिसमें अन्य बातों के साथ-साथ बाल श्रमिकों की उच्च-बहुलता वाले क्षेत्रों में कामकाजी बच्चों के कल्याण के लिये एक परियोजना-आधारित कार्य-योजना की व्यवस्था है। कार्य-योजना के अंतर्गत, 1988 में 12 बाल श्रमिक बहुल जिलों में राष्ट्रीय बाल श्रम परियोजना (एन सी एल पी) स्कीम चलाई गई थी। चालू प्लान के अधीन इस स्कीम के अंतर्गत शामिल किये

गये जिलों की संख्या काफी बढ़ाकर 250 कर दी गई है।

1.14 एन सी एल पी स्कीम के अंतर्गत शुरू किया गया एक महत्वपूर्ण क्रियाकलाप रोजगार से हटाये गये बच्चों को अनौपचारिक/औपचारिक शिक्षा, व्यावसायिक प्रशिक्षण, अनुपूरक पोषाहार, मासिक वजीफा तथा नियमित स्वास्थ्य जांच आदि मुहैया कराने के लिए विशेष स्कूलों/केन्द्रों की स्थापना करना है।

1.15 चालू वर्ष में इस स्कीम के अंतर्गत स्कूलों की संख्या 4,000 से बढ़ाकर 6,000 कर दी गई है।

1.16 बाल श्रम उन्मूलन इस मंत्रालय के कार्यकलापों में एकल सबसे बड़ा कार्यक्रम है। इस स्कीम के अंतर्गत शामिल किये गये जिलों की संख्या में महत्वपूर्ण वृद्धि के अलावा, इस दिशा में दसवीं योजना के दौरान बजटीय आबंटन में अत्यधिक वृद्धि सरकार की प्राथमिकता का प्रमाण है। सरकार ने 9वीं योजना में 178 करोड़ रुपये के व्यय की तुलना में 10वीं योजना के दौरान इस कार्यक्रम के लिये 602 करोड़ रुपये की राशि आबंटित की है।

1.17 इंडो-यू.एस. प्रोजेक्ट (इंडस), जिसमें अन्य बातों के साथ-साथ किशोर बच्चों के लिये व्यावसायिक प्रशिक्षण का अतिरिक्त सुदृढ़ घटक शामिल है, के अंतर्गत देश के 21 और जिलों में कामकाजी बच्चों के पुनर्वास के लिये इसी प्रकार की स्कीम प्रारंभ की है। भारत सरकार ने इस परियोजना के लिये 65 करोड़ रुपये की राशि आबंटित की है। इस योजना के अंतर्गत लगभग 850 स्कूल खोले गये हैं जिनके दायरे में 48,800 कामकाजी बच्चे आते हैं।

1.18 एन सी एल पी तथा इंडस स्कीमों के कार्यान्वयन को आवधिक रिपोर्टों, नियमित दौरों तथा जिला एवं राज्य सरकार के अधिकारियों के साथ बैठकों के माध्यम से बारीकी से मॉनीटर किया जा रहा है। इस दिशा में एक समयबद्ध ढंग से वास्तविक

परिणाम प्राप्त करने के लिये सरकार की प्रतिबद्धता इस तथ्य से भी स्पष्ट है कि हैदराबाद, पुणे, मसूरी तथा कोलकाता में आयोजित जिला कलक्टरों के पिछले क्षेत्रीय स्तर के सम्मेलनों में इस स्कीम की सचिव के स्तर पर जिला-वार समीक्षा की गई थी। इन सम्मेलनों ने नये चुने हुए 150 जिलों में इस स्कीम के प्रारंभिक संचालन में अत्यधिक सहायता की।

1.19 घरेलू कामगारों अथवा ढाबों, रेस्तराओं, होटलों, मोटलों, चाय की दुकानों, रिसॉर्टों, स्पास अथवा अन्य मनोरंजनात्मक केन्द्रों में नौकरों के रूप में बच्चों के नियोजन को बाल श्रम (प्रतिषेध एवं विनियमन) अधिनियम, 1986 के अंतर्गत 10 अक्टूबर, 2006 से प्रतिषिद्ध किया जायेगा।

1.20 अतः, व्यवसायों की इन दो श्रेणियों में बच्चों को नियोजित करने वाला कोई भी व्यक्ति इस अधिनियम के अंतर्गत अभियोजन एवं अन्य दांडिक कार्रवाई का भागी होग ।

महिला श्रमिक

1.21 सरकार, महिला कामगारों की कामकाजी दशाओं में सुधार लाने के लिए कृतसंकल्प है । इस दिशा में, कार्यस्थलों में महिला कर्मचारियों के यौन उत्पीड़न की रोकथाम के लिये दिशा-निर्देश तैयार किये गये हैं। साथ ही, केन्द्रीय मंत्रालयों/विभागों, राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों एवं सभी केन्द्रीय सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रमों को इन दिशा-निर्देशों को प्रभावी बनाने के लिये केन्द्रीय सरकार तथा अखिल भारतीय सेवाओं पर लागू आचार नियमावली में हाल ही में संशोधन किया गया है । इन दिशा-निर्देशों को निजी क्षेत्र में कर्मचारियों पर भी लागू करने के लिए औद्योगिक नियोजन (स्थायी आदेश) केन्द्रीय नियमावली, 1946 में भी संशोधन किया गया है।

1.22 औद्योगिक नियोजन (स्थायी आदेश) केन्द्रीय नियमावली, 1946 में यह प्रावधान करने के लिए आगे संशोधन करने के लिए कि यौन उत्पीड़न से संबंधित शिकायत की

जांच-पड़ताल करने के लिए प्रत्येक प्रतिष्ठान में गठित शिकायत समिति की रिपोर्ट को इन नियमों के प्रयोजन हेतु नियोजक द्वारा नियुक्त जांच प्राधिकारी माना जाए, को 19.01.2006 को अधिसूचित कर दिया गया है ।

बंधुआ श्रमिक

1.23 भारत में ऋण दासता की प्रथा की उत्पत्ति सामंतवादी तथा अर्ध-सामंतवादी परिस्थितियों के कारण हुई। 'बंधुआ श्रमिकों' ा मुद्दा राष्ट्रीय राजनीति में उस समय उभरकर आया जब इसे 1975 में पुराने 20 सूत्री कार्यक्रम में शामिल किया गया । इसे क्रियान्वित करने के लिए, बंधित श्रम पद्धति (उत्सादन) अध्यादेश, प्रख्यापित किया गया था इसके स्थान पर बाद में बंधित श्रम पद्धति (उत्सादन) अधिनियम, 1976 प्रतिस्थापित किया गया था। यह एक ऐसा महत्वपूर्ण कार्यक्रम है कि सरकार के 20 सूत्री कार्यक्रम के अंतर्गत इसके कार्यान्वयन की नियमित रूप से मॉनीटरिंग तथा समीक्षा की जाती है।

1.24 मुक्त करवाए गए बंधुआ श्रमिकों के पुनर्वास के कार्य में राज्य सरकारों की सहायता करने के लिए, श्रम और रोजगार मंत्रालय ने मई, 1978 में 50::50 के वित्तपोषण के आधार पर केन्द्र द्वारा प्रायोजित एक योजना प्रारम्भ की । इस योजना के अंतर्गत, प्रति बंधुआ श्रमिक 20,000/- रुपये की पुनर्वास सहायता प्रदान की जाती है। संशोधित योजना में राज्य सरकारों/ संघ राज्य क्षेत्रों के लिए वित्तीय सहायता का भी प्रावधान है ताकि बंधुआ श्रमिकों, जागरूकता सृजन कार्यकलापों तथा प्रभाव मूल्यांकन का सर्वेक्षण करवाया जा सके। इस योजना के अंतर्गत राज्य सरकारों को 30.11.2006 तक 2,66,738 बंधुआ श्रमिकों के पुनर्वास के लिए 6874.65 लाख रुपये की धनराशि प्रदान की गयी है।

सामाजिक सुरक्षा

1.25 सरकार ने कामगारों के लिये सामाजिक सुरक्षा के क्षेत्र में अनेक विधान अधिनियमित किये हैं। इस

संबंध में कर्मकार प्रतिकर अधिनियम, 1923; कर्मचारी भविष्य निधि एवं प्रकीर्ण उपबंध अधिनियम, 1952; प्रसूति प्रसुविधा अधिनियम, 1961; उपदान संदाय अधिनियम, 1972 और कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम, 1948 महत्वपूर्ण हैं । इन अधिनियमों के अंतर्गत कामगारों को और अधिक लाभ प्रदान करने के लिये हाल ही में अनेक पहलें की गयी हैं जिसका ब्यौरा निम्नवत् है ः-

कर्मचारी राज्य बीमा निगम

1.26 रुग्णता, प्रसूति एवं रोजगारजनित चोटों के मामले में स्वास्थ्य देख-रेख तथा नकद लाभों की व्यवस्था करने के लिये, कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम 1948 में बनाया गया था। कर्मचारी राज्य बीमा निगम वर्ष 1952 में प्रारम्भ की गयी कर्मचारी राज्य बीमा योजना कार्यान्वित कर रहा है । इसकी उपलब्धियां इस प्रकार है ः-

- कर्मचारी राज्य बीमा निगम ने अपने नेटवर्क का 144 अस्पतालों, 42 अस्पताल एनेक्सियों, 1422 औषधालयों, 45 क्षेत्रीय/उप-क्षेत्रीय/प्रभागीय कार्यालयों 646 शाखा कार्यालयों तथा 179 भुगतान कार्यालयों तक विस्तार किया है जिसके दायरे में 3.54 करोड़ लाभार्थी आते हैं।
- कर्मचारी राज्य बीमा योजना के अंतर्गत बीमित व्यक्तियों की कुल संख्या 31.03.2005 से 84.98 ला□ से बढ़कर 31.03.2006 की स्थिति के अनुसार, 91.48 लाख हो गयी और लाभार्थियों □ी सं□या 31.3.2005 में 3.29 □रोड़ से बढ़कर 31.3.2006 तक 3.54 करोड़ रूपये हो गई है ।
- वर्तमान में, कर्मचारी राज्य बीमा योजना कारखाना अधिनियम, 1948 □ी धारा 2(12) के अंतर्गत शामिल किए गए सभी कारखानों तथा अन्य प्रतिष्ठानों अर्थात्, (i) दुकानों (ii) होटल और रेस्त्रांओं (iii) सिनेमा तथा प्रिव्यू थिएटरों (iv) सड़क मोटर परिवहन उपक्रमों और (v) समाचार पत्र प्रतिष्ठानों पर इस अधिनियम की धारा 1(5) □ अन्तर्गत लागू होती है। इस योजना को चरणबद्ध ढंग से नये क्षेत्रों अर्थात् शैक्षणिक संस्थाओं, स्वास्थ्य देख-

रेख संस्थाओं आदि पर लागू किया जा रह ा है। ताकि कर्मचारी राज्य बीमा निगम के अंतर्गत उपलब्ध ढांचा तथा अन्य सुविधाओं का भरपूर उपयोग किया जा सके।

- वर्ष 2005-06 के दौरान, कर्मचारी राज्य बीमा योजना को 1.48 लाख कर्मचारियों को शामिल करके 90 नये भौगोलिक क्षेत्रों में कार्यान्वित किया गया था। 01.04.2006 से 30.11.2006 □ दौरा-न यह योजना 39 -नये □त्रों में 75, 630 और कर्मचारियों को शामिल करते हुए क्रियान्वित की गयी है। 31.3.2006 की स्थिति के अनुसार, कर्मचारी राज्य बीमा निगम के दायरे में लिए गए □-द्रों □ा □ुल सं□या 728 थी ।
- कारखाने/प्रतिष्ठान की बंदी, छंटनी अथवा रोजगार-इतर चोट के कारण उत्पन्न हुई स्थायी अपंगता के कारण न चाहते हुए भी बेरोजगार हो गये बीमित व्यक्तियों को बेरोजगारी भत्ता प्रदान करने के लिये 01.04.2005 से राजीव गांधी श्रमिक कल्याण योजना प्रारंभ की गई थी। 31.10.2006 तक 755 मामलों में 93.13 लाख रुपये का भुगतान किया गया।
- कर्मचारी राज्य बीमा योजना का शैक्षणिक संस्थाओं पर विस्तार करने के निर्णय के अनुरूप, राज्य सरकारों द्वारा केन्द्र सरकार का अनुमोदन प्राप्त करने के पश्चात् कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम की धारा 1 (5) के अंतर्गत एक सूचना जारी किया जाना अपेक्षित है, वर्तमान स्थिति निम्नवत् हैः-

(□) राजस्थान, बिहार, पांडिचेरी, जम्मू एवं कश्मीर, उत्तरांचल, छत्तीसगढ़ झारखंड तथा पश्चिम बंगाल राज्य सरकारों ने शैक्षणिक संस्थाओं पर कवरेज का विस्तार करने के लिए धारा 1 (5) के अंतर्गत अंतिम अधिसूचनाएं जारी कर दी हैं ।

(□ा) कर्नाटक, तमिलनाडु और हिमाचल प्रदेश □ी राज्य सरकारों ने इस योज-ना □ा शै□□□ संस्थाओं पर विस्तार करने के लिए धारा 1(5) के अंतर्गत आशयित अधिसूचनाएं जारी की हैं। मध्य प्रदेश असम और उत्तर प्रदेश सरकारों -ने भी इस अधिनियम की धारा 1(5) के अंतर्गत आशयित अधिसूचना जारी करने के लिए केन्द्रीय सरकार का अनुमोदन प्राप्त कर लिया है।

- निगम ने कर्मचारी राज्य बीमा योजना को निजी चिकित्सा संस्थाओं पर लागू करने का भी अनुमोदन कर दिया है। आदिनांक, पश्चिम बं□ल सरकार ने आशयित अधिसूचना जारी की है। राजस्थान, पांडिचेरी तथा बिहार सरकार -ने आशयित अधिसूचना जारी □र दी है। हिमाचल प्रदेश, पंजाब, असम तथा केरल राज्य सरकारों ने □-द्र सर□ार □ा अनुमोदन प्राप्त कर लिया है ।
- □र्मचारी राज्य बीमा अधिनियम के अंतर्गत □र्मचारियों की व्याप्ति के लिये मजदूरी की अधिकतम सीमा 7500/-रु . से बढ़ाकर 10,000/-रु प्रतिमाह कर दी गई है तथा 1.10.06 से अधिकतम दैनिक मानक लाभों की 150/- रु. से 195/- रु. तक दस और स्लेब जोड़ी गयी हैं।
- नि□म -ने व्यावसायि□ प्रशि□□ □-द्रों □ माध्यम से प्रशिक्षण प्राप्त कर रहे विकलांग बीमित व्यक्तियों □ो अदा किये जा रहे आवास भत्ते □ो 45/-रु. से बढ़ाकर 123/- रु. प्रतिदिन कर दिया है।

- निगम ने राज्य सरकार के इच्छुक होने के अध्यधीन राज्यों में कर्मचारी राज्य बीमा योजना के अंतर्गत चिकित्सा देख-रेख को अपने नियंत्रण में लेने का निर्णय लिया है।
- प्रति बीमित व्यक्ति परिवार इकाई चिकित्सा देखरेख पर व्यय की अधिकतम सीमा 750/- रु. से बढ़ाकर 900/- रु. प्रतिवर्ष कर दी गई है।
- निगम ने नकद लाभों के संवितरण तथा नियोजकों और कर्मचारियों के ऑन लाइन पंजीकरण के लिये सूचना प्रौद्योगिकी समर्थ सेवाएं उपलब्ध करवाने हेतु 11.10.2006 से एक प्रायोगिक परियोजना प्रारंभ की है। उस मॉड्यूल में निम्नलिखित कार्यों को कंप्यूटरीकृत किया गया है:
  - नियोजकों तथा कर्मचारियों का ऑन-लाइन पंजीकरण
  - नियोजकों द्वारा कर्मचारी राज्य बीमा अंशदानों का ऑन-लाइन भुगतान
- निगम ने 29.11.2006 को कर्मचारी राज्य बीमा औषधालयों तथा अस्पतालों में चिकित्सा देखरेख के कंप्यूटरीकरण हेतु एक प्रायोगिक परियोजना भी प्रारंभ की है। कर्मचारी राज्य बीमा निगम ने कंप्यूटरीकरण की प्रायोगिक परियोजना के इस मॉड्यूल में निम्नलिखित शामिल होंगे:
  - ओ पी डी पंजीकरण
  - डॉक्टर नुस्खा
  - नैदानिक परीक्षण
  - कर्मचारी राज्य बीमा भंडारों द्वारा दवाइयाँ जारी करना
  - कर्मचारी राज्य बीमा दवा भंडारों में औषध संग्रह
  - औषधालयों द्वारा अस्पताल को भेजे गये मामले आदि।
- कर्मचारी राज्य बीमा निगम ने अपनी सेवाओं हेतु एक मानकीकृत गुणवत्ता प्रणाली के लिये एक नयी पहल प्रारंभ की है। गुणवत्ता प्रबंधन की खोज में, निगम ने अपने भिन्न-भिन्न कार्यालयों के समग्र कार्यचालन में सुधार लाने के लिये राष्ट्रीय उत्पादकता परिषद (एन पी सी) की सेवाएं भाड़े पर ली हैं। परिणामस्वरूप कार्यचालन की प्रक्रियाओं में अनेक गुणात्मक बदलाव किये गये। इस प्रक्रिया में, कर्मचारी राज्य बीमा निगम ने एक नयी गुणवत्ता नीति भी अंगीकार की। सभी अपेक्षित सुधारों तथा कठोर प्रलेखन के प्राप्त होने पर, राष्ट्रीय उत्पादकता परिषद ने कार्यालय के अंदर एक गुणवत्ता लेखा परीक्षा करवाई तथा तत्पश्चात् बाहरी गुणवत्ता लेखा परीक्षा दल ने निगम के सभी कार्यालयों का निरीक्षण किया। समस्त गुणवत्ता अपेक्षा के पूरा होने पर, इंडियन रजिस्टर क्वालिटी सिस्टम (आई आर क्यू एस), मुंबई, जो आर वी ए, नीदरलैंड द्वारा विधिवत् प्रमाणित निकाय है, ने निम्नलिखित कार्यालयों को आई एस ओ 9001:200 प्रमाणपत्र प्रदान किये-
  - कर्मचारी राज्य बीमा निगम मुख्यालय
  - क.रा.बी. अस्पताल, बसईदारापुर, नई दिल्ली
  - क.रा.बी. औषधालय, कारखाना रोड, सरोजनी नगर, नई दिल्ली
  - क्षेत्रीय कार्यालय, नई दिल्ली
  - क्षेत्रीय कार्यालय, नई दिल्ली के अधीन तीन प्रभागीय कार्यालय
  - क्षेत्रीय कार्यालय, नई दिल्ली के अधीन 13 शाखा कार्यालय ।
- निगम ने अपने सभी पणधारियों को व्यक्तिगत सेवायें प्रदान करने के लिये एक निःशुल्क हेल्पलाइन नम्बर 1800 11 2526 भी प्रारंभ की है।

कर्मचारी भविष्य निधि संगठन

1.27 **कर्मचारी भविष्य निधि एवं प्रकीर्ण उपबंध अधिनियम, 1952 में, अधिसूचित उद्योगों में 20 या उससे अधिक कर्मचारी नियुक्त करने वाले कारखानों/प्रतिष्ठानों में अनिवार्य भविष्य निधि, पेंशन और जमा सम्बद्ध बीमा हेतु प्रावधान है। भारत**

सरकार, कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (ई पी एफ ओ) के माध्यम से कर्मचारी भविष्य निधि एवं प्रकीर्ण उपबंध अधिनियम, 1952 को प्रशासित करती है तथा उसके अंतर्गत निम्नलिखित तीन योजनाएं बनाई गई थी

- कर्मचारी भविष्य निधि योजना, 1952
- कर्मचारी पेंशन योजना, 1995, और
- कर्मचारी जमा संबद्ध बीमा योजना, 1976

1.28 31.03.2006 की स्थिति के अनुसार, इस अधिनियम के अतर्गत 444464 प्रतिष्ठानों को शामिल किया गया जिसमें से 2558 छूट प्राप्त प्रतिष्ठान थे। कर्मचारी भविष्य निधि में पेंशन निधि में सदस्य संख्या 323.05 लाख के साथ कुल सदस्य संख्या 429.53 लाख थी। 2005-06 के दौरान, 48.18 लाख सदस्यों के दावों का निपटान किया गया जिसके दावों के लिये 10521.15 करोड़ रुपये की राशि वितरित की गयी। कर्मचारी भविष्य निधि संगठन द्वारा संचालित की जा रही सभी तीनों योजनाओं के अंतर्गत 31.3.2006 की स्थिति के अनुसार अभी तक प्राप्त अंशदानों के संबंध में कुल संचित राशि 216110.08 करोड़ रुपये थी। वर्ष 2005-06 के दौरान, सभी तीनों योजनाओं के अंतर्गत प्राप्त कुल अंशदान की राशि 23682.70 करोड़ रुपये थी। कर्मचारी भविष्य निधि के सदस्यों की जमाराशियों पर 2005-06 के लिये घोषित ब्याज दर 8.50 प्रतिशत (मासिक चालू शेष राशि के आधार पर) थी। इस वर्ष के दौरान, गैर-छूटप्राप्त प्रतिष्ठानों के सदस्यों को 537.50 लाख वार्षिक लेखा विवरण जारी किये गये।

1.29 वर्ष 2005-06 के दौरान, कर्मचारी भविष्य निधि एवं प्रकीर्ण उपबंध अधिनियम, 1952 की धारा 14 के अंतर्गत वर्ष के दौरान निर्णय लिये जा रहे 1922 मामलों के साथ चूककर्ता प्रतिष्ठानों के खिलाफ 8366 अभियोजन मामले चलाये गये । कर्मचारी भविष्य निधि एवं प्रकीर्ण उपबंध अधिनियम, 1952 की धारा 8 के अंतर्गत कर्मचारी भविष्य निधि

योजना के अंतर्गत 238.77 करोड़ रुपये की धनराशि के वसूली प्रमाणपत्रों के साथ कर्मचारी पेंशन योजना, 1995 के अंतर्गत 145.13 करोड़ रुपये के देयों के लिए 18013 वसूली प्रमाणपत्र जारी किये गये; कर्मचारी जमा संबद्ध बीमा योजनाओं के अंतर्गत 8.78 करोड़ रुपये के देयों के लिये 18,329 वसूली प्रमाणत्र जारी किये गये। चूककर्ता प्रतिष्ठानों से देयों की वसूली के लिये पुलिस के पास 457 प्राथमिकी दर्ज करवाई गइप तथा पुलिस द्वारा भारतीय दंड संहिता की धारा 406/409 के अंतर्गत विभिन्न न्यायालयों में 7 चालान दायर किये गये।

1.30 वर्ष 2000 में प्रारंभ की गई "री-इन्वेंटिंग ई.पी.एफ. इंडिया" नामक आधुनिकीकरण परियोजना ने निम्नलिखित उद्देश्यों के साथ हैदराबाद, मंगलौर, इंदौर, पटना, कोटा तथा करनाल में इस संगठन के 6 प्रायोगिक कार्यालयों में सर्वप्रथम पूरी तरह से कार्यान्वित की जा रही परियोजना के साथ नवम्बर, 2006 में एक महत्वपूर्ण उपलब्धि हासिल कर ली है

- भविष्य निधि सदस्यों के वास्तविक समय के अद्यतन वार्षिक खाते बनाये रखना।
- आधुनिक लेखा प्रणालियों के अनुरूप दोहरी लेखा प्रणाली ।
- ब्याज की हानि को बचाने के लिये नयी सूचना प्रौद्योगिकी समर्थ बैंकिंग व्यवस्थाएं
- दावों को निपटाने के लिये लगने वाले समय को 30 दिन से घटाकर 2-3 दिन करना ।
- लाभार्थियों को धनराशि वितरित करने के लिए इलैक्ट्रानिक निधि अंतरण तथा इलैक्ट्रानिक क्लियरेंस प्रणाली प्रारंभ करना।
- एक प्रज्ञावान कवरेज तथा अनुपालन तंत्र की स्थापना करना।
- कभी भी और कहीं भी सुविधा के माध्यम से ग्राहकों को संतुष्टि प्रदान करना।

असंगठित क्षेत्र के कामगारों पर ध्यान केन्द्रित किया जाना

1.31 "असंगठित श्रमिक" के रूप में उन कामगारों को परिभाषित किया गया है जो कतिपय बाधाओं जैसे रोजगार का नैमित्तिक स्वरूप, अज्ञानता और निरक्षरता, प्रतिष्ठानों का छोटा और बिखरा हुआ आकार इत्यादि के कारण अपने साझा हितों को प्राप्त करने में स्वयं को संगठित नहीं कर सके हैं ।

1.32 वर्ष 1999-2000 में राष्ट्रीय प्रतिदर्श सर्वेक्षण संगठन द्वारा कराए गए सर्वेक्षण के अनुसार देश के संगठित और असंगठित दोनों क्षेत्रों में कुल रोजगार 39.7 करोड़ था। इसमें से, लगभग 2.8 करोड़ संगठित क्षेत्र में और शेष 36.9 करोड़ असंगठित क्षेत्र में थे । असंगठित क्षेत्र के 36.9 करोड़ कामगारों में से 23.7 करोड़ कामगार कृषि क्षेत्र, 1.7 करोड़ निर्माण क्षेत्र, 4.1 करोड़ विनिर्माण कार्यकलापों और व्यापार तथा परिवहन, संचार और सेवाओं प्रत्येक में 3.7 करोड़ कामगार थे। असंगठित क्षेत्र के कामगार विभिन्न श्रेणियों में आते हैं किन्तु उनमें से बड़ी संख्या में गृह आधारित कामगार हैं जो बीड़ी लपेटने, अगरबत्ती बनाने, पापड़ बनाने, वस्त्र सिलाई, जरी और कशीदाकारी के कार्य में लगे हैं ।

1.33 असंगठित कामगारों को रोजगार की अत्यधिक अनियमितता, औपचारिक नियोक्ता-कर्मचारी संबंधों का न होना और सामाजिक सुरक्षा संरक्षण की कमी के कुचक्र का सामना करना पड़ता है । अनेक विधान जैसे न्यूनतम मजदूरी अधिनियम, 1948; कर्मकार प्रतिकर अधिनियम, 1923 और प्रसूति प्रसुविधा अधिनियम, 1961; कर्मचारी भविष्य निधि और प्रकीर्ण उपबंध अधिनियम, 1952 असंगठित क्षेत्र के कामगारों पर भी प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से लागू हैं। सरकार ने बीड़ी लपेटने इत्यादि जैसे व्यवसायों में लगे कामगारों को सामाजिक सुरक्षा प्रदान करने के लिए कुछ कल्याण निधियों का भी गठन किया है। स्वर्णजयंती ग्राम स्व-रोजगार योजना, प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना, सम्पूर्ण ग्रामीण

रोजगार योजना इत्यादि जैसी कुछ रोजगार-परक योजनाएं हैं । सरकार ने जनश्री बीमा योजना जैसी समूह बीमा योजना भी आरंभ की है । इन पहलों के बावजूद, असंगठित क्षेत्र के कामगारों की कार्य और रहन-सहन दशाएं दयनीय बनी रहीं ।

असंगठित क्षेत्र के कामगारों के लिए व्यापक विधान

1.34 द्वितीय राष्ट्रीय श्रम आयोग (1999-2000) ने असंगठित क्षेत्र के कामगारों के लिए संरक्षण का एक न्यूनतम स्तर सुनिश्चित करने के लिए एक व्यापक विधान का सुझाव दिया है । सरकार, असंगठित क्षेत्र के कामगारों की रोजगार और सेवा शर्तों का विनियमन करने के लिए और उन्हें सुरक्षा, सामाजिक सुरक्षा और स्वास्थ्य देख-रेख प्रदान करने हेतु एक विधान लाने का विचार कर रही है । इस संबंध में की गई कार्रवाई का ऊपर उल्लेख कर दिया गया है।

श्रम कल्याण निधियां

1.35 श्रम और रोजगार मंत्रालय, बीड़ी, सिने और गैर-कोयला खान कामगारों की कतिपय श्रेणियों के लिए पांच कल्याण निधियां प्रशासित कर रहा है । इन कामगारों के कल्याण के लिए संसद के निम्नलिखित अधिनियमों के अंतर्गत निधियों की स्थापना की गई है

- अभ्रक खान श्रम कल्याण निधि अधिनियम,1946;
- चूना पत्थर और डोलोमाइट खान श्रम कल्याण निधि अधिनियम, 1972 ;
- लौह अयस्क, मैगनीज़ अयस्क और क्रोम अयस्क खान श्रम कल्याण निधि अधिनियम,1976;
- बीड़ी कामगार कल्याण निधि अधिनियम, 1976 ; और
- सिने कामगार कल्याण निधि अधिनियम, 1981 ।

1.36 उपर्युक्त अधिनियमों में प्रावधान है कि केन्द्र सरकार उन उपायों और सुविधाओं से संबंधित व्यय की पूर्ति के लिए निधि का उपयोग कर सकती

है जो ऐसे कामगारों के कल्याणार्थ आवश्यक हैं | उपर्युक्त अधिनियमों में दिए गए उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए अनेक कल्याण योजनाएं बनायी गयी हैं और स्वास्थ्य, सामाजिक सुरक्षा, शिक्षा, आवास, मनोरंजन और जल आपूर्ति के क्षेत्रों में चलायी जा रही है।

बीड़ी कामगारों और अन्य गैर-कोयला खान कामगारों के लिए एकीकृत आवास योजना

1.37 25 मई, 2005 से एक नयी संशोधित एकीकृत आवास योजना, 2005 कार्यान्वित की जा रही है। इसके अंतर्गत निर्माण की लागत को 40,000/-रुपये की केन्द्रीय आर्थिक सहायता और कामगार के प्रति मकान अंशदान 5,000/-रुपये से पूरा करना होता है | क्रियान्वयन एजेन्सी राज्य सरकारें होंगी जो संबंधित जिलाधीश के माध्यम से पात्र कामगारों की पहचान करेंगी, प्रस्तावों को एकत्र करके, उनकी छानबीन करके प्रशासनिक अनुमोदन प्राप्त करने हेतु संबंधित राज्य सरकारों के श्रम सचिव के माध्यम से उसे महानिदेशक श्रम कल्याण (डी जी एल डब्ल्यू) को भेजेंगी |

बीड़ी कामगारों को चिकित्सा सुविधाएं प्रदान करने के लिए अनुदान योजना

1.38 सरकार ने हाल ही में प्रायोगिक आधार पर सभी राज्य सरकारों/क.रा.बी.नि./आवासीय सहकारी समिति/प्रतिष्ठित गैर-सरकारी संगठनों इत्यादि को 2 करोड़ रुपये या अस्पताल भवन के निर्माण की वास्तविक लागत का 75 प्रतिशत या चिकित्सा उपकरणों की लागत सहित, जो भी कम हो, की एकमुश्त अनुदान राशि प्रदान करने के लिए एक योजना आरंभ की है। इसी प्रकार चिकित्सा/लेपरोस्कोपिक उपकरणों इत्यादि सहित एम्बुलैन्स/मोबाइल वैन की खरीद के लिए 4 लाख रुपये तक एकमुश्त सहायता-अनुदान भी उपलब्ध होगा। इसके साथ-साथ दवाइयों पर व्यय की प्रतिपूर्ति के लिए बीड़ी कामगारों और उनके आश्रितों को दी गई दवाइयों की वास्तविक लागत के 75 प्रतिशत के

बराबर और अधिकतम 10 लाख रुपये प्रतिवर्ष तक की राशि भी उपलब्ध होगी।

न्यूनतम मजदूरी

1.39 न्यूनतम मजदूरी अधिनियम, 1948 मुख्य रूप से असंगठित क्षेत्र के कामगारों के हितों के संरक्षण के लिए बनाया गया था। न्यूनतम मजदूरी अब तक, कामगारों को सबसे बड़ा सामाजिक सुरक्षा कवर प्रदान कर रही है। अधिनियम के उपबंधों के अंतर्गत केन्द्र और राज्य सरकारें अपने-अपने क्षेत्राधिकार में अनुसूचित नियोजनों के संबंध में न्यूनतम मजदूरी निर्धारित, संशोधित, उसकी समीक्षा और भुगतान का प्रवर्तन करने के लिए समुचित सरकारें हैं। केन्द्रीय क्षेत्र में 46 और राज्य क्षेत्र में 1535 अनुसूचित नियोजन हैं। केन्द्रीय क्षेत्र में अधिनियम का प्रवर्तन केन्द्रीय औद्योगिक संबंध तंत्र के अधिकारियों के माध्यम से सुनिश्चित किया जाता है। राज्य/संघ शासित सरकारों के अधिकार क्षेत्र में आने वाले नियोजनों के संबंध में अधिनियम का प्रवर्तन राज्य तंत्र द्वारा सुनिश्चित किया जाता है ।

1.40 मुद्रास्फीति के प्रति मजदूरी का संरक्षण करने के लिए, केन्द्र सरकार ने उपभोक्ता मूल्य सूचकांक से सम्बद्ध परिवर्ती मंहगाई भत्ते (वी डी ए) का प्रावधान किया है। जहां तक राज्य/संघ शासित प्रशासनों का संबंध है, उनमें से 26 ने वी डी ए को न्यूनतम मजदूरी का एक संघटक बना दिया है। केन्द्र और राज्य दोनों सरकारों द्वारा समय-समय पर इन अनुसूचित नियोजनों के संबंध में न्यूनतम मजदूरी का संशोधन किया जाता है। केन्द्रीय क्षेत्र में पिछली बार 01.10.2006 से दरों में संशोधन किया गया था।

1.41 यद्यपि, एकसमान राष्ट्रीय न्यूनतम मजदूरी की संकल्पना पर पिछले कई वर्षों से विभिन्न मंचों पर चर्चा की गई है, परन्तु इसे अभी पूर्ण रूप से व्यवहार में नहीं लाया गया है । न्यूनतम मजदूरी का निर्धारण विभिन्न कारकों अर्थात् आय, आवश्यक वस्तुओं की कीमतों,

उत्पादकता, भुगतान की क्षमता एवं स्थानीय परिस्थितियों आदि के आधार पर किया जाता है। चूंकि ये शहर-दर-शहर एवं उद्योग-दर-दद्योग बदलती रहती हैं, अतः देशभर में मजदूरी में असमानता है I एक समान राष्ट्रीय न्यूनतम मजदूरी के अभाव में, केन्द्र सरकार ने एक राष्ट्रीय सतही स्तर (फ्लोर लेवल) की मजदूरी शुरू की है I प्रारंभ में, इसे 1991 में गठित राष्ट्रीय ग्रामीण श्रम आयोग की सिफारिशों एवं तत्समय मूल्य दर में वृद्धि के आधार पर वर्ष 1996 में 35/- रुपये प्रतिदिन निर्धारित किया गया था I सतही न्यूनतम मजदूरी में आवधिक संशोधन किया जाता है, जिसमें आखिरी बार संशोधन 01.02.2004 से 66/-रुपये प्रतिदिन किया गया था I राज्य सरकारों पर समय-समय पर यह सुनिश्चित करने के लिए जोर दिया जाता है कि किसी भी अनुसूचित नियोजन में न्यूनतम मजदूरी सतही स्तर से कम न हो। अधिकांश राज्यों ने राष्ट्रीय सतही मजदूरी के परिप्रेक्ष्य में अपनी न्यूनतम मजदूरी दरों में संशोधन किया है I

श्रम कानूनों की समीक्षा

1.42 श्रम, संविधान की समवर्ती सूची में शक्तियों के प्रत्यायोजन में आता है। अतः, केन्द्र एवं राज्य दोनों ही इस मामले में विधान बना सकते हैं और इस प्रकार कानूनों में बहुलता की स्थिति उत्पन्न हो गई है। इस प्रकार केन्द्र और राज्य दोनों इस क्षेत्र में कानून बना सकते हैं और इससे कानूनों की बहुलता को बढ़ावा मिला है। **श्रम** से संबंधित 43 विधानों, जिन्हें केन्द्र सरकार द्वारा अधिनियमित किया जाता है, में न्यूनतम मजदूरी, दुर्घटना लाभ, कामगार की मृत्यु, प्रसूति, रोजगार की परिस्थितियों, अनुशासनात्मक कार्रवाई, मजदूर संघों का गठन, औद्योगिक संबंध आदि शामिल हैं।

1.43 श्रम कानूनों की समीक्षा /अद्यतनीकरण एक सतत् प्रक्रिया है, जो कि मौजूदा परिस्थिति एवं पणधारकों की उभरती आवश्यकताओं

को ध्यान में रखते हुए उनसे तालमेल बनाए रखने के लिए की जाती है।

1.44 वर्तमान में, विभिन्न श्रम कानूनों में संशोधन/अद्यतनीकरण की स्थिति निम्नवत् है-

श्रम कानून (कतिपय प्रतिष्ठानों को विवरणियां प्रस्तुत करने और रजिस्टर रखने से छूट) अधिनियम, 1988

1.45 इस अधिनियम के अंतर्गत रिटर्न फार्मों और कतिपय श्रम कानूनों के अधीन निर्धारित रजिस्टरों के सरलीकरण के लिए संशोधन किए जाने तथा अनुसूचित अधिनियमों में संशोधन करके रिकार्डों में अवरोध तथा रख-रखाव न करने इत्यादि के लिए एक समान आधार पर जुर्माने के लिए राज्य सभा में 22 अगस्त, 2005 को एक विधेयक पुरःस्थापित किया गया है। ऐसा प्रस्ताव है कि यह अधिनियम उन प्रतिष्ठानों पर लागू हो जिनमें 19 के विपरीत 500 से अधिक कर्मचारी कार्यरत हों और अधिनियम के कवरेज की संख्या 9 से बढ़ाकर 16 कर दी जाए। ऐसा अनुमान है कि प्रस्तावित संशोधन विधेयक द्वारा प्रस्तुत किए गए सरलीकृत फार्मों के माध्यम से नियोक्ताओं को रजिस्टरों के रख-रखाव एवं विभिन्न श्रम कानूनों के अंतर्गत रिटर्न जमा करने में काफी सहूलियत होगी । रजिस्टरों का रख-रखाव कम्प्यूटरों पर किया जा सकता है तथा वार्षिक रिपोर्ट ई-मेल के माध्यम से भेजी जा सकती है।

प्रसूति प्रसुविधा अधिनियम, 1961

1.46 प्रसूति प्रसुविधा अधिनियम, 1961 में संशोधन का एक प्रस्ताव विचाराधीन है जिसके माध्यम से चिकित्सा बोनस को बढ़ाने एवं केन्द्र सरकार को समय-समय पर चिकित्सा बोनस को बढ़ाने हेतु अधिकार दिया जाना है।

उपदान संदाय अधिनियम, 1972

1.47 अधिनियम के दायरे में शिक्षकों से संबंधित मामलों को विनिर्दिष्ट करने एवं वर्गीकृत किए जाने हेतु इस

अधिनियम में एक संशोधन का प्रस्ताव विचाराधीन है।

कारखाना अधिनियम, 1948

1.48 सरकार ने कारखाना अधिनियम, 1948 की धारा 66 में संशोधन करने का निर्णय लिया है इसके लिए कारखाना (संशोधन) विधेयक, 2003 लोक सभा में 29 जुलाई, 2003 को प्रस्तुत किया गया था । इस विधेयक को श्रम और कल्याण संबंधी स्थायी समिति को भेज दिया गया था । समिति ने अपनी रिपोर्ट में कारखाना अधिनियम, 1948 में संशोधन का अनुमोदन कर दिया था बशर्ते कि सरकार धारा 66 के उपबंध के अंतर्गत पहले से उपलब्ध सुरक्षा के अलावा कुछ अतिरिक्त सुरक्षा की व्यवस्था करेगी । श्रम और रोजगार मंत्रालय ने समिति के सचिवालय को इन सिफारिशों के संबंध में की गई कार्रवाई की टिप्पणी प्रस्तुत कर दी थी तथापि, 13वीं लोकसभा के भंग होो जाने के कारण यह विधेयक व्यपगत होो गया था । बाद में इस विधेयक को पुरःस्थापित करने का निर्णय लिया गया था । तदनुसार कारखाना (संशोधन) विधेयक 2005 लोक सभा में 16 अगस्त, 2005 को प्रस्तुत किया जा चुका है ।

बोनस संदाय अधिनियम, 1965

1.49 द्वितीय राष्ट्रीय श्रम आयोग की सिफारिश के अनुसार बोनस की पात्रता की गणना करने और बोनस का परिकलन करने के लिए दो मजदूरी सीमाओं को क्रमशः 3500/-रुपये से बढ़ाकर 7500/-रुपये और 2500/-रुपये से बढ़ाकर 3500/-रुपये करने का एक प्रस्ताव विचाराधीन है ।

कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम, 1948

1.50 सुविधाओं की कवरेज को विस्तारित करने के लिए अधिनियम में संशोधन करने का एक प्रस्ताव श्रम और रोजगार मंत्रालय के विचाराधीन है ।

मणिसाना मजदूरी बोर्ड

1.51 मणिसाना मजदूरी बोर्ड की सिफारिशों के क्रियान्वयन की समीक्षा करने के लिए श्रम और रोजगार मंत्रालय में श्रम एवं रोजगार सलाहकार की अध्यक्षता में गठित केन्द्रीय स्तर की मानीटरिंग समिति की अब तक 08.03.2002, 13.11.2002, 06.06.2003 28.1.2004 तथा 11.08.2005 को पांच बैठकें हो चुकी हैं ।

1.52 राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों में पंचाट के क्रियान्वयन की समीक्षा करने के लिए, केन्द्रीय स्तर की मानीटरिंग समिति ने अब तक 10-12 जुलाई, 2003 के दौरान असम में गुवाहाटी, पश्चिम बंगाल में कोलकाता, उड़ीसा में भुवनेश्वर, 26-27 अक्तूबर, 2005 के दौरान मध्य प्रदेश में भोपाल तथा इंदौर, 4-6 जनवरी, 2006 के दौरान आं प्रदेश में हैदाबाद, 2-3 मार्च, 2006 के दौरान राजस्थान में जयपुर, 10-14 मार्च, 2006 के दौरान कर्नाटक में बंगलौर और केरल में थिरुअनन्तपुरम का दौरा किया है ।

1.53 श्रमजीवी पत्रकार और अन्य समाचार पत्र कर्मचारियों के लिए एक नये वेतन बोर्ड का गठन करने का निर्णय लिया गया है ।

व्यावसायिक सुरक्षा एवं स्वास्थ्य (ओ.एस.एच.)

1.54 भारतीय संविधान में किए गए प्रावधानों के अनुसार कामगारों की व्यावसायिक सुरक्षा एवं स्वास्थ्य से संबंधित उपबंधों को खान सुरक्षा महानिदेशालय और कारखाना सलाह सेवा एवं श्रम संस्थान महानिदेशालय के कार्यालयों के माध्यम से लागू किया जा रहा है । खान सुरक्षा महानिदेशालय, खान अधिनियम, 1952 के अंतर्गत नियुक्त निरीक्षकों के माध्यम से खनन उद्योग में कामगारों के लिए सुरक्षा और स्वास्थ्य उपबंधों को लागू करता है । कारखाना सलाह सेवा और श्रम संस्थान महानिदेशालय अपने गोदी सुरक्षा निरीक्षणालय के माध्यम से गोदियों में सुरक्षा प्रावधानों को लागू करता है और विभिन्न राज्य सरकारों के अधीन कार्यरत कारखाना

निरीक्षणालयों के लिए राष्ट्रीय स्तर पर समन्वय एजेंसी के रूप में भी काम करता है।

1.55 व्यावसायिक सुरक्षा एवं स्वास्थ्य के क्षेत्र में महत्वपूर्ण घटनाएं/प्रयास निम्नलिखित हैं ः-

- श्रम और रोजगार मंत्रालय, खनन उद्योग में कामगारों के लिए प्रत्येक वर्ष प्रधानमंत्री श्रम पुरस्कार, राष्ट्रीय सुरक्षा पुरस्कार तथा विश्वकर्मा राष्ट्रीय पुरस्कार एवं राष्ट्रीय सुरक्षा पुरस्कार (खान) प्रदान कर रहा है ।

- प्रधानमंत्री श्रम पुरस्कार केन्द्र और राज्य सरकारों के विभागों/सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रमों और निजी क्षेत्र में 500 या उससे अधिक कामगार नियोजित करने वाली विनिर्माण इकाईयों में नियोजित कर्मकारों को उनके कार्य निष्पादन, कार्य के प्रति समर्पण इत्यादि को मान्यता प्रदान करने के रूप में दिए जाते हैं। वर्ष 2004 के लिए मार्च, 2005 में घोषित प्रधानमंत्री श्रम पुरस्कार शीघ्र ही आयोजित हाने वाले एक पुरस्कार वितरण समारोह में माननीय प्रधानमंत्री द्वारा 6 महिलाओं सहित 45 कामगारों को दिए जाएंगे। वर्ष 2005-2006 के लिए आवेदन की प्रक्रिया चल रहाळ है ।

- विश्वकर्मा राष्ट्रीय पुरस्कार (वी आर पी) किसी कामगार या कामगारों के समूह को उनके उत्कृष्ट सुझावों जिससे उत्पादकता, सुरक्षा और स्वास्थ्य, में सुधार हुआ हो व साथ ही आयात विकल्प जिसके परिणास्वरूप विदेशी मुद्रा में बचत हुयी हो, के लिए दिए जाते हैं। राष्ट्रीय सुरक्षा पुरस्कार (एन एस ए) कारखाना अधिनियम, 1948 के दायरे में आने वाले औद्योगिक प्रतिष्ठानों, गोदी कामगार (सुरक्षा, स्वास्थ्य और कल्याण) अधिनियम, 1986 और भवन और अन्य निर्माण कामगार (रोजगार और सेवा शर्तो का विनियमन) अधिनियम, 1996 के अंतर्गत शामिल कामगारों द्वारा अच्छी सुरक्षा निष्पादन को मान्यता देते हुए प्रदन किए जाते हैं। तत्कालीन केन्द्रीय श्रम और रोजगार राज्य मंत्री श्री चन्द्र शेखर साहू ने विज्ञान भवन, नई दिल्ली को 17.9.2006 को आयोजित एक समारोह में वर्ष 2005 के लिए विश्वकर्मा राष्ट्रीय पुरस्कार और राष्ट्रीय सुरक्षा पुरस्कार प्रदान किए।

- राष्ट्रीय सुरक्षा पुरस्कार (खान) खान अधिनियम, 1952 के अंतर्गत कवर खानों में उत्कृष्ट सुरक्षा कार्य निष्पादन की पहचान के रूप में राष्ट्रीय स्तर पर प्रदान किए जाते हैं। वर्ष 2002और 2003 के लिए राष्ट्रीय सुरक्षा पुरस्कारों (खान) को अंतिम रूप दिया जा चुका है और इन्हें शीघ्र ही वितरित किया जाना है।

- महिलाओं को उनकी सुरक्षा, गरिमा, सम्मान तथा कारखाना परिसरों से नजदीकी निवास स्थल से ले जाने और वहां तक छोड़ने हेतु पर्याप्त सुरक्षा उपायों के साथ रात्रिकालीन पारियों के दौरान नियोजन हेतु लोचनीयता का प्रावधान करने के लिए कारखाना अधिनियम, 1948 की धारा 66 में संशोधन करने संबंधी विधेयक को

लोक सभा में 16 अगस्त, 2005 को पुरःस्थापित किया गया था ।

केन्द्रीय श्रमिक शिक्षा बोर्ड

1.56 1958 में स्थापित केन्द्रीय श्रमि□ शिक्षा बार्ड, एक त्रिपक्षीय संस्था है जो राष्ट्रीय क्षेत्रीय और इकाई/गांव स्तर पर कामगार शिक्षा कार्यक्रम को कार्यान्वित करती है। बोर्ड प्रशिक्षण कार्यक्रमों का आयोजन करता है, जो संगठित, असंगठित, ग्रामीण और अनौपचारिक वर्गों के कामगारों को कवर करते हैं। बोर्ड के प्रशिक्षण कार्यक्रमों का मुख्य उद्देश्य कामकाजी जनसंख्या के सभी व□ों में जागरूकता उत्पन्न करना है। संयुक्त शिक्षा कार्यक्रमों के माध्यम से पर्यवेक्षीय और प्रबंधकीय संव□ों को भी कवर किया जाता है।

1.57 इसका मुख्यालय नागपुर में स्थित है और देशभर में बोर्ड के 50 क्षेत्रीय तथा 9 उपक्षेत्रीय निदेशालयों का नेटवर्क फैला हुआ है। दिल्ली, गुवाहाटी, कोलकाता, चेन्नई और मुम्बई में स्थित 5 जोनल निदेशालय इन निदेशालयों की गतिविधियों को मॉनीटर करते हैं ।

1.58 बोर्ड ने अपना पचासवां □त्रीय निदेशालय बेरहमपुर (उड़ीसा) में सितम्बर, 2006 में स्थापित किया है जिसने काम करना शुरू कर दिया है।

1.59 भारतीय श्रमिक शिक्षा संस्थान नामक बोर्ड का सर्वोच्च प्रशिक्षण संस्थान, मुम्बई में 1970 में बोर्ड अधिकारियों के प्रशिक्षण कार्यक्रमों के अलावा केन्द्रीय श्रमिक संघ संगठनों/परिसंघों, स्वैच्छिक संगठनों के क्रिया-कलापों के लिए स्थापित किया गया था ।

1.60 1970 से नवम्बर 2006 तक बोर्ड ने 17,491 प्रतिभागियों के लिए राष्ट्रीय स्तर पर विभिन्न अवधियों के 695 कार्यक्रम आयोजित किए हैं ।

1.61 संगठित, असंगठित और ग्रामीण क्षेत्र में बोर्ड ने कुल मिलाकर 1,01,44,497 श्रमिकों के लिए विभिन्न अवधियों के 3, 42,841 कार्य□म आयोजित किए हैं ।

1.62 इसके अलावा, बोर्ड नवनिर्मित श्रम कल्याण और विकास कार्यक्रमों के जरिये विभिन्न कल्याणकारी योजनाओं के बारे में अनौपचारिक क्षेत्र के श्रमिकों में जागरूकता सृजन करता रहा है ।

श्रम सां□यि□ी

1.63 श्रम क्रियाकलापों के विभिन्न पहलुओं पर सही, समयबद्ध और विस्तृत सांख्यिकी तथा कार्रवाई योग्य संस्थान का फीड बैक प्रभावी नीतिगत निर्णय लेने के लिए अनिवार्य है । औद्योगिक श्रमिक संबंधी उपभोक्ता मूल्य सूचकांक (1982=100), जिसका औद्योगिक श्रमिकों और केन्द्रीय, राज्य तथा संघ राज्य क्षेत्र सरकारों के कर्मचारियों के मंहगाई भत्ते के निर्धारण तथा संगठित और असंगठित क्षेत्र के श्रमि□ों की न्यूनतम मजदूरी के निर्धारण/संशोधन हेतु व्यापक इस्तेमाल किया जाता है, की जगह 2001=100 को आधार बनाया गया है।

1.64 श्रम ब्यूरो की वेबसाईट http://www.labourbureau.nic.in □ो नियमित रूप से अद्यतन किया जा रहा है।

1.65 श्रम ब्यूरो (i) विभिन्न राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों के मूल्य संग्राहकों और मूल्य पर्यवेक्षकों ; (ii) विभिन्न श्रम कानूनों के तहत संग्रहीत श्रम सांख्यिकी से जुड़े वरिष्ठ राज्य/केन्द्र सरकार के अधिकारियों, तथा (iii) विवरणी देने वाली प्राथमिक इकाईयों के लिए नियमित रूप से प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित करता है ।

1.66 इसके अलावा यह (क) आई.ई.एस. /आई.एस.एस. परिवीक्षाधीनों (ख) सी.एस. ओ. द्वारा प्रायोजित कोलकाता के आई एस ई सी के विदेशी प्रतिभागियों, और (ग) सी एस ओ द्वारा प्रतिनियुक्त सांख्यिकी अधिकारियों को जूनियर प्रमा□-पत्र पाठ्य□म प्रशि□□ भी देता है।

दसवीं योजना परिव्यय

1.67 मंत्रालय ने दसवीं योजना के दौरान श्रम के कल्याण और विकास हेतु एक महत्वाकांक्षी योजना तैयार की है । बाल श्रम उन्मूलन, बंधुआ मजदूरी के उत्सादन और ऐसे मजदूरों □ पु-र्वास तथा कौशल उन्नयन पर विशेष बल दिया जा रहा है । अन्य महत्वपूर्ण योजनाएं हैं; विद्यमान आई. टी. आई को उत्कृष्टता केन्द्रों में स्तरोन्नत करना और पूर्वोत्तर राज्यों, सिक्किम तथा जम्मू और □श्मीर में नये आई टी आई की स्थापना ।

1.68 श्रम और रोजगार मंत्रालय के लिए दसवीं योजना के दौरान कुल 1500 करोड़ रूपये के योजना परिव्यय में 2002-2003 □ लिए वर्षवार परिव्यय 170 करोड़ रुपये (बजट आकलन) और 125 करोड़ रुपये (संशोधित आकलन), 2003-04 के लिए 183 करोड़ रुपये (बजट आकलन) और 165 करोड़ रुपये (संशोधित आकलन) तथा 2004-2005 के लिए और 232.48 करोड़ रुपये (बजट आकलन) तथा 200 □रोड़ रुपये (संशोधित आकलन) वर्ष 2005-06 के लिए रहा है । योजना व्यय 2002-2003 के लिए 117.71 करोड़ रुपये, 2003-2004 के लिए 124.01 करोड़ रुपये, 2004-05 के लिए 151.74 करोड़ रुपये और 2005-06 के लिए 192.48 करोड़ रुपये रहा है, जो संशोधित आकलन का क्रमश: 94.17 %, 99.21 %, 91.96 % और 96.24 % रहा है । 2006-07 के लिए परिव्यय 336.76 करोड़ रुपये (बजट आकलन) है।

ग्यारहवीं योजना

1.69 योजना आयोग ने ग्यारहवीं पंचवर्षीय योजना (2007-2012) □ो ब-ा-े □ लिये कार्रवाई शुरू कर दी है । जहां तक श्रम और रोजगार क्षेत्र का संबंध है, योजना आयोग ने श्रम बल और रोजगार अनुमान, कौशल विकास और व्यावसायिक प्रशि□ण, श्रम कानून तथा अन्य श्रम विनियमन, सामाजिक सुरक्षा, बाल श्रम और व्यावसायिक सुरक्षा स्वास्थ्य से संबंधित मुद्दों पर छह कार्य समूहों का गठन किया है, इनमें से अंतिम पांच सचिव (श्रम और रोजगार) की अध्यक्षता में हैं। इन पांच कार्य ग्रुपों की रिपोर्टें प्रस्तुत कर दी गई हैं। 11वीं योजना और श्रम तथा रोजगार मंत्रालय की वार्षिक योजना 2007-08 के प्रस्तावों को भी योजना आयोग को प्रस्तुत □िया □या है।

अंतर्राष्ट्रीय सहयोग

1.70 जिनेवा में 31 मई से 16 जून, 2006 तक अंतर्राष्ट्रीय श्रम सम्मेलन के 95वें सत्र का आयोजन किया गया था जिसमें श्रम और रोजगार राज्य मंत्री श्री चन्द्रशेखर साहू के नेतृत्व में 27 सदस्यीय त्रिपक्षीय भारतीय प्रतिनिधिमंडल ने भाग लिया था । श्री एम.आर. सिंघल, श्रम मंत्री, दिल्ली सरकार और श्री जे.एन.मिश्रा, श्रम मंत्री, उड़ीसा भी प्रतिनिधिमंडल के सदस्य थे।

1.71 यूरोपीय आयोग और भारतीय श्रम और रोजगार मंत्रालय ने साझा हित के रोजगार और सामाजिक कार्य संबंधी मुद्दों पर संवाद और आदान-प्रदान को मजबूत बनाने के लिए एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए। इसके बाद सितम्बर, 2005 में यूरोपीय संघ-भारत सम्मेलन में रोजगार और सामाजिक नीति के क्षेत्र सभी दोनों भागीदारों के बीच सहयोग पुन: प्रभावी □र-े □ लिए निर्णय लिया गया । यह सामाजिक संर□□, सामाजिक संबद्धता, श्रम विधान, रोजगार, श्रम संबंध और सामाजिक संवाद जैसे क्षेत्रों में विचारों के आदान-प्रदान हेतु ढांचा प्रदान करेगा । रोजगार, सामाजिक कार्य और सामान्य अवसर के ई यू आयुक्त वाल्दिमीर स्पिडला और भारत के श्रम और रोजगार राज्य मंत्री ऑस्कर फर्नाडिंस ने यूरोपीय संघ के प्रतिनिधिमंडल की अध्यक्षता की ।

1.72 समझौता ज्ञापन के अंतर्गत प्रथम आदान-प्रदा-ा □ रुप में 27-28 -ावम्बर, 2006 □ो कौशल विकास, प्रशिक्षण और रोजगार पर एक इंडो-ई यू से संगोष्ठी का आयोजन किया गया।

वी.वी.गिरि राष्ट्रीय श्रम संस्थान (वी.वी.जी.एन.एल.आई.)

1.73 जुलाई, 1974 में स्थापित वी.वी. गिरि राष्ट्रीय श्रम संस्थान, जो श्रम और रोजगार मंत्रालय, भारत सरकार का एक स्वायत्त निकाय है, श्रम के क्षेत्र में अनुसंधान, प्रशिक्षण तथा शिक्षा का एक प्रमुख संस्थान है। संस्थान में अन्यों के साथ, मुख्य कार्यकलाप निम्नलिखित हैं-

प्रशिक्षण तथा शैक्षणिक कार्यक्रमों, सेमिनारों और कार्यशालाओं के आयोजन में सहायता प्रदान करना;

- स्वयं तथा राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय दोनों ही प्रकार की अन्य एजेन्सियों के सहयोग से अध्ययन करना, सहायता प्रदान करना, उन्हें प्रोत्साहन देना तथा समन्वय करना;
- निम्नलिखित के लिए प्रकोष्ठों की स्थापना करनाः
  - शिक्षा, प्रशिक्षण तथा अभिविन्यास;
  - अनुसंधान, कार्रवाई अनुसंधान सहित ;
  - परामर्श; तथा

प्रकाशन और अन्य ऐसे क्रियाकलाप जो समाज के उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए आवश्यक हों

राष्ट्रीय सामाजिक सुरक्षा अनुसंधान एवं प्रशिक्षण अकादमी

1.74 नाटरस कर्मचारी भविष्य निधि संगठन द्वारा प्रकाशित किया जाता है। यह संस्थान मूल रूप से श्रम कल्याण, श्रम मानकों, सामाजिक सुरक्षा, कार्मिक प्रबंधन तथा औद्योगिक संबंधों पर विभिन्न अनुसंधान अध्ययनों तथा प्रशिक्षण कार्यक्रमों का आयोजन करता है। प्रशिक्षकों और संकाय सदस्यों में गैर-सरकारी संगठनों के व्यावसायिक, कर्मचारी भविष्य निधि संगठन तथा श्रम और रोजगार मंत्रालय की इकाइयों के अधिकारी, तथा अफ्रीका, एशिया तथा सुदूरवर्ती पूर्व में विभिन्न देशों के श्रम संस्थानों और सरकारों के प्रतिनिधि भी शामिल ।

रोजगार और प्रशिक्षण

रोजगार और प्रशिक्षण महानिदेशालय की गतिविधियाँ

1.75 व्यावसायिक प्रशिक्षण तथा रोजगार समवर्ती विषय होने के कारण केन्द्र तथा राज्य सरकार दोनों इस के लिए समान रूप से उत्तरदायी हैं। जहाँ केन्द्र सरकार नीतियों, प्रक्रियाओं, मानकों, प्रतिमानकों का निर्धारण, संबंधन, मार्गदर्शी सिद्धान्त, व्यवसाय परीक्षा आयोजित करने तथा प्रमाणीकरण करने हेतु उत्तरदायी है वहीं व्यावसायिक प्रशि□□ □ा □ार्या-वय-न तथा रोजगार कार्यालय का प्रशासन संबंधित राज्य सरकार/संघ शासित प्रदेश के पास है। अधिकतर राज्यों में रोजगार एवं प्रशिक्षण निदेशालय राज्य की राजधानी में स्थित हैं। इन गतिविधियों के अतिरिक्त, रोजगार एवं प्रशिक्षण महानिदेशालय विशेष लक्षित समूह की प्रशिक्षण मांग की पूर्ति हेतु प्रशिक्षण संस्थान भी चला रहा है।

500 विद्यमान औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों का च्उत्कृष्ट केन्द्रोंछ के रूप में उन्नयन

1.76 केन्द्रीय वित्त मंत्री ने अपने बजट भाषण 2004-05 में देश में 500 औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों के उन्नयन हेतु उपायों की घोषणा की। तत्पश्चात, वित्त मंत्री की सलाह के अनुरूप, 100 औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों का घरेलू संसाधनों से तथा 400 औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों का विश्व बैंक सहायता से उन्नयन हेतु कार्रवाई आरंभ कर दी गई है।

1.77 घरेलू संसाधनों से वित्तपोषित किए जाने वाले ये 100 औद्योगिक प्रशिक्षण संस्था-ा 26 राज्यों/संघ शासित प्रदेशों (जम्मू व कश्मीर, सिक्किम तथा पूर्वोत्तर राज्यों के अलावा) में इन राज्यों में सरकारी औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों की संख्या के अनुपात में बांटे गए हैं। योजना की कुल लागत 160 करोड़ रूपये है जिसमें केन्द्र का योगदान 120 करोड़ रूपये है जैसा कि वित्तमंत्री द्वारा परामर्शित 75:25 का अनुपात है।

1.78 योजना का उद्देश्य विद्यमान 100 औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों का उत्कृष्ट केन्द्रों के रूप में उन्नयन करना है ताकि विश्व स्तर का बहु-कौशलयुक्त कार्यबल तैयार किया जा सके। योजना की विशेषताओं में, प्रथम वर्ष के दौरान बहु-कौशलीय पाठ्यक्रमों का आरंभ जिसके उपरांत उद्योग-वार समूह दृष्टिकोण; बहु प्रवेश तथा बहु-निर्गत प्रावधानों तथा प्रशिक्षण के सभी पहलूओं में उद्योग की आर्थिक एवं सक्रिय भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए संस्थान प्रबंधन समिति के रूप में सार्वजनिक निजी भा□ीदारी अपनाकर द्वितीय वर्ष में उच्च/विशिष्ट माड्यूलर पाठ्यक्रम अपनाना शामिल है। ब्यौरा अध्याय 23 में दिया गया है।

अनौपचारिक साधनों के माध्यम से प्राप्त कौशल का परीक्षण एवं प्रमाणीकरण

1.79 अनौपचारिक साधनों के माध्यम से प्राप्त च्कौशलों का परीक्षण एवं प्रमाणीकरणछ नामक एक नई योजना पायलट आधार पर आरंभ की गई है। आरंभ में, इस कार्यक्रम में लगे निर्माण उद्योग विकास परिषद् (सी आई डी सी) नामक एक अभिकरण ने अभी तक 8000 निर्माण कामगारों का परीक्षण एवं प्रमाणीकरण किया है। 46 कौशल क्षेत्रों हेतु सक्षमता मापदंड विकसित किए हैं। □छ अन्य कौशल क्षेत्रों हेतु भी सक्षमता मापदंड विकसित ि□ए जा रहे हैं।

सार्वजनिक निजी भागीदारी

1.80 28 राज्यों को शामिल करते हुए समग्र संख्या को 500 तक बढ़ाते हुए 190 और औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों में अतिरिक्त संस्थान प्रबंधन समितियों का गठन □रके सार्वजनिक निजी भागीदारी की गई है।

जम्मू व कश्मीर और पूर्वोत्तर तथा सिक्किम में नए औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों की स्थापना

1.81 रोजगार एवं प्रशिक्षण महानिदेशालय अभिनिर्धारित कौशल क्षेत्रों में युवाओं के प्रशिक्षण हेतु मूलभूत ढांचेका सृजन व विकास करके उद्योग, सेवा क्षेत्र, स्व-रोजगार आदि की गुणात्मक एवं मात्रात्मक कुशल एवं अर्द्ध कुशल जनशक्ति आवश्यकता को पूरा करने के प्रमुख उद्देश्य से पूर्वोत्तर राज्यों तथा सिक्किम में नए औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों की स्थापना नामक केन्द्र प्रवर्तित योजना का कार्यान्वयन कर रहा है। योजना में 22 नए औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों की स्थापना तथा पूर्वोत्तर □त्र में 35 विद्यमान औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों का सुदृढीकरण/आधुनिकीकरण की परिकल्पना की गई है। कार्यान्वयन की पूर्णता पर, औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों में सीट क्षमता विद्यमान 7244 से बढ़कर 16144 हो जाएगी। योजना संकाय/पूर्वोत्तर क्षेत्र के प्रायोजित

अभ्यर्थियों के प्रशिक्षण हेतु तकनीकी सहायता भी उपलब्ध करवाती है।

1.82 केन्द्र प्रवर्तित योजना का कुल परिव्यय 100 करोड़ रूपये है। यह योजना अब जम्मू व कश्मीर की एक अन्य केन्द्र प्रवर्तित योजना परियोजना के साथ विलयित कर दी गई है तथा कार्यान्वयन की अंतिम तिथि 31.03.2007 तक बढ़ा दी गई है।

विद्यमान अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति हेतु अध्यापन-सह-मार्गदर्शन केन्द्रों में नए पाठ्यक्रमों का आरंभ

1.83 **"विद्यमान अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति हेतु अध्यापन-सह-मार्गदर्शन केन्द्रों में नए पाठ्यक्रमों का आरंभ"** नामक एक योजना निजी प्रतिष्ठित कम्प्यूटर प्रशिक्षण संस्थानों के माध्यम से छह माह के कम्प्यूटर प्रशिक्षण हेतु अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के 480 शिक्षितों को कम्प्यूटर में प्रशिक्षित करने □ लिए आरंभ की गई। दिल्ली, जयपुर, सूरत, बंगलौर, जबलपुर, चेन्नई, हैदराबाद, कोलकाता, नागपुर, हिसार, भुवनेश्वर एवं गुवाहाटी के 12 केन्द्रों पर प्रशिक्षण दिया □या। वर्ष 2006-07 के दौरान अनुसूचित जाति / अनुसूचित जनजाति के 672 उम्मीदवारों को प्रशिक्षण हेतु नामित किया गया है।

100 औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों में सूचना प्रौद्योगिकी एवं इलैक्ट्रॉनिक अनुरक्षण प्रणाली व्यवसाय का आरंभ।

1.84 सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय द्वारा उपलब्ध करवाए गए कुल 11.70 करोड़ रूपये के बजट से रोजगार एवं प्रशिक्षण महानिदेशालय तथा सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय द्वारा संयुक्त रूप से 100 औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों में "सूचना प्रौद्योगिकी व इलैक्ट्रॉनिक सिस्टम अनुरक्षण (आई टी एण्ड ई एस एम)" नामक व्यवसाय आरंभ करने की एक योजना प्रस्तुत की गई। स्थाई वित्त समिति (एस एफ सी) ने योजना को अनुमोदन प्रदान कर दिया है। योजना के अंतर्गत पांच संघटक शामिल किए गए हैं :

संघटक बजट का नाम

(रूपये ला□ा में)

1.	उपकरण की अधिप्राप्ति	1000
2.	प्रशि□□ों □ा प्रशि□□	45
3.	पाठ्यसामग्री का विकास	20
4.	प्रबोधन एवं समीक्षा	50
5.	आ□स्मि□ व्यय	55
	□ुल	**1170**

***